Persons detained under FERA

741. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of persons detained for FERA violations as on May 31, 1988;

(b) what is the number of smugglers identified in each State after launching the operation, 'Sea Rock' this year; and

(c) what steps Government have taken to maintain pressure to ensure that the provisions of the COFEPOSA Act are stringently applied?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) The number of Foreign Exchange racketeers detained under COFEPOSA Act, 1974, as on 31-5-88 is 52.

(b) Statewise statistical data about the number of smugglers detained in the operation "Sea Rock" are as under:-

Delhi	27
Bihar	22
Punjab	18
Gujarat	6
Rajasthan	3
Tamil Nadu	44
West Bengal	10
Karnataka	4
Andhra Pradesh	4
Maharashtra	50
Kerala	6

(c) The Central Government has issued guidelines for the proper implementation of the provisions of the COFEPOSA Act, 1974. Coordination with officers of field formations and the State Government are maintained to ensure that tne provisions of COFEPOSA Act are applied stringently. The Central Government also coordinated 2 crackdowns during March, 1987 and March, 1988 to detain smugglers and foreign exchange racketeers.

बैंकों द्वारा आवास परियोजनाओं का वित्त पोषण

742. **श्री मिर्जा इर्शादबेग :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष देश की विभिन्न आवास परियोजनाओं के वित्त-पोषण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कितना योगदान रहा है और इस प्रयोजन के लिए प्रति राज्य कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ख) क्या आवास-परियोजनाओं के वित्त पोषण संबंधी नीति की पुनरीक्षा की जा रही है और यदि हां, तो इस विषय में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावनाएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने, आवास वित्त के लिए वर्ष 1985 में 144.27 करोड़ रुपये, वर्ष 1986 में 183.10 करोड़ रुपये और वर्ष 1987 में 192.16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे चलकर यह भी बताया है कि रिजर्व बैंक द्वारा हर साल आवास वित्त के लिए बैंकवार रकम आवंटित करने की प्रथा अपनाई जाती है और न कि राज्यवार। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित बैंकों के नाम हिदायतें जारी की हैं जिनमें बैंकों को बताया गया है कि वर्ष 1988 के लिए कुल आवंटन राशि 160 करोड़ रुपये (आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त तदर्थ सीमा सहित) से बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1989 के लिए और बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दी गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, आवास वित्त सम्बन्धी वर्तमान मार्गनिर्देशों की समीक्षा की जा रही है और आशा है कि उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।